न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 49/2016 (राजसमन्द डिक्री)

1. शंकरलाल पिता भैरूलाल जी ब्राहमण, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. जगदीश पिता भैरूलाल जी ब्राहमण, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती प्रेम पुत्री भैरूलाल जी ब्राहमण, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. हीरालाल पिता भैरूलाल जी ब्राहमण, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. बालू पिता भैरूलाल जी ब्राहमण, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती सुशीला पत्नी घनश्याम पुत्री भैरूलाल जी ब्राहमण, निवासी हाल मुकाम ढोकलिया (ढाणियां की कोटडी) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती लेहरी पुत्री भैरूलाल जी पत्नी सोहनलाल जी ब्राहमण, निवासी हाल मुकाम मजदूर कॉलोनी, पानदल चौराहा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. प्रबन्धक महोदय, भूमि विकास बैंक, शाखा राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. प्रबन्धक महोदय, एस.बी.बी.जे. शाखा गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा0 का0
अ0–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
17–06–2016 प्रकरण सं. 85/2014

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरेश जणवा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 4
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6

———::———

निर्णय दिनांक 10–04–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध खातदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गिलुण्ड में वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार कुल किता 6 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष भारमल के भैरूलाल हुए व भैरूलाल के वारिस में उसकी पत्नी सोसर फोत हो चुकी है तथा 4 पुत्र व 3 पुत्रियां हैं, जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हैं। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकारी अनुसार उक्त भूमि में भैरूलाल के प्रत्येक वारिस का 1/7, 1/7 हिस्सा है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर पुत्रियों का नाम विलोपित कर सम्पूर्ण कृषि भूमि अपने नाम पर अंकित करवा ली है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतएवं वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित भूमि में वादीया को 1/7 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (अपीलान्टगण) की ओर से अधिवक्ता ने अण्डर टेकिंग दिनांक 08–10–2014 को दी। दिनांक 05–04–2016 को प्रतिवादीगण के जवाब का अवसर बन्द किया तथा आगामी तारीख दिनांक 03–05–2016 नियत की। दिनांक 03–05–2016 को पत्रावली में आगामी तारीख 12–07–2016 नियत की गयी, परन्तु इसके स्थान पर पत्रावली

दिनांक 17–06–2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट गिलुण्ड में रखी जाकर वादीया का वाद राजीनामे के आधार पर डिक्री किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 17–06–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ मियाद कण्डोन का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पेशी दिनांक 12–07–2016 नियत थी, परन्तु प्रकरण राजस्व लोक अदालत में दिनांक 17–06–2016 रखा गया, जिसकी प्रार्थीगण को सूचना नहीं दी गयी। अपीलान्ट नियत पेशी दिनांक 12–07–2016 को जब न्यायालय गया तो जानकारी मिली की पत्रावली नहीं निकली है। पेशकार साहब ने कहा कि हो सकता है पत्रावली कैम्प कें रखकर निर्णित कर दी गयी है। इस पर तलाश करने पर दिनांक 25–07–2016 को अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री नरेश जणवा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–07–2016 को पेशी दी गयी गयी थी, परन्तु इसके स्थान पर अपीलान्ट को बिना सूचना

दिये दिनांक 17–06–2016 को पत्रावली लोक अदालत में रखकर प्रकरण में डिक्री पारित कर दी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है तथा अपीलान्ट को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में वाद डिक्री कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। वादग्रस्त भूमि किस प्रकार से पैत्रृक है यह साक्ष्य सबूतों से ही तय हो सकता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य सबूत के वादिया के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि को मौरूसी मान लिया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03–05–2016 को दिनांक 12–07–2016 के लिए पत्रावली नियत की गयी, परन्तु उक्त तिथि से पृथक तिथि दिनांक 17–06–2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखा गया, जिसकी कोई सूचना अपीलान्टगण को दिये जाने की साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। हालांकि अपीलान्टगण प्रकरण में वादकरण में मौजूद रहे हैं एवं लिटिगेटिंग पक्षकार थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी को बिना सूचना दिये प्रकरण लोक अदालत में पृथक तिथि में रखकर निर्णय पारित कर दिया है, जिसमें सिर्फ वादिया के शपथ पत्र है, जिस पर जिरह का अपीलान्ट/प्रतिवादी को अवसर नहीं मिला है तथा राजीनामा सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के मध्य ही हुआ है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मान्यता दे दी गयी है, जबकि लिटिगेटिंग पक्षकार अपीलान्टगण हैं। प्रकरण में भूमि मौरूसी होने के कारण पिता की मृत्यु कब हुई तथा पुत्रियों का कितना हक बनता है, इस बाबत अपीलान्टगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होकर तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–06–2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादिया द्वारा पेश की गयी साक्ष्य एवं पेश की जाने वाली अन्य साक्ष्य से अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को जिरह का अवसर देकर तथा

अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं सुनकर विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11–06–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

नारायणलाल दत्तक पुत्र भूरा कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द। बनाम **कालू पिता प्रताप कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**04**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**.....माह.....**.12**.....सन् **2015** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री डूंगरसिंह कर्णावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**अनुपस्थित**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–04–2013 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14**.....माह.....**.12**.....**2015** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।